मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
कार्यालयः टैगोर छात्रावास क्रमाँक टी–2, श्यामला हिल, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755–2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2020 / 3787 दिनांक – 31/12/2020

सूचना

प्रदेश के निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थायें जिन्होंने सत्र् 2018–19 में शुल्क का विनियमन किसी कारणवश प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति से नहीं कराया है, जिसके फलस्वरूप संस्थाओं में अध्ययनरत छात्र–छात्राओं को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति प्राप्त नही हो पा रही है।

अतः ऐसी समस्त संस्थायें सत्र 2018–19 के शुल्क विनियमन हेतु दिनांक 15.01.2021 तक प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति सचिवालय के पत्र कमांक क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2020 / 2877 दिनांक 01 / 08 / 2019 में दिये गये निर्देशानुसार (सुलभ संदर्भ हेतु छायाप्रति संलग्न है) प्रस्ताव वित्तीय लेखे जैसे आय--व्यय पत्रक सहित प्रस्तुत करना सुनिश्चित करें।

उक्त निर्धारित तिथि के पश्चात् सत्र् 2018–19 के शुल्क विनियमन हेतु किसी संस्था के अनुरोध को समिति, सचिवालय द्वारा मान्य नहीं किया जावेगा।

(डॉ. डी.ए.हिण्डोलिया)
सचिव / विशेष कर्तव्यस्थ अधिकारी

मध्य प्रदेश शासन
प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति
सचिवालय
कार्यालयः टैगोर छात्रावास क्रमाँक टी–2, श्यामला हिल, भोपाल–462002
दूरभाष एवं फैक्स : 0755–2660461, email:afrcmp@gmail.com, web site: www.afrcmp.org

क्रमांक / सचि. / ओएसडी / 2019 / 2877 दिनांक– 1/8/19

प्रति,

अध्यक्ष / सचिव / संचालक / प्राचार्य,
चिकित्सा शिक्षा, तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं आयुष विभाग के अंतर्गत
व्यावसायिक पाठ्यक्रम संचालित करने वाली संस्थाएं,
मध्यप्रदेश।

विषय– प्रदेश के निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त व्यावसायिक शिक्षण संस्थाओं के सत्र् 2018–19 के शुल्क विनियमन के संबंध में।

***

मध्यप्रदेश निजी व्यावसायिक शिक्षण संस्था (प्रवेश का विनियमन एवं शुल्क का निर्धारण) अधिनियम–2007 के तहत गठित प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, मध्यप्रदेश शासन तकनीकी शिक्षा एवं प्रशिक्षण विभाग, मंत्रालय, भोपाल द्वारा प्रकाशित राजपत्र दिनांक 15 अप्रैल, 2008 के विनियम की कंडिका 5 (5) (एक) में दिये गये प्रावधानों के अनुरूप प्रदेश में स्थित निजी क्षेत्र की गैर अनुदान प्राप्त संस्थाओं के द्वारा संचालित तकनीकी शिक्षा, उच्च शिक्षा एवं चिकित्सा शिक्षा अनुमोदित व्यावसायिक पाठ्यक्रमों के **सत्र् 2018–19** के शुल्क विनियमन के संबंध में मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल में दिनांक 26.06.2019 को आयोजित बैठक में लिये गये निर्णयानुसार संस्थाओं के विद्यार्थियों को पोस्ट मैट्रिक छात्रवृत्ति का वितरण किये जाने हेतु संस्थाओं पर वैधानिक कार्यवाही कर शुल्क विनियमन करने के निर्देश पत्र क्रमांक / 433 / 458 / 2019 / 25–2 दिनांक 05.07.2019 द्वारा दिये गये हैं।

उपरोक्त पत्र दिनांक 05.07.2019 को प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति की आयोजित बैठक दिनांक 24.07.2019 को संज्ञान में लिया गया। समिति द्वारा निम्नानुसार निर्णय लिया गया है :–

1. जिन संस्थाओं द्वारा पूर्व में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा शुल्क का विनियमन कराया गया है, ऐसी संस्थाऐं सत्र 2018–19 के शुल्क विनियमन हेतु संस्थाओं द्वारा यू.जी. पाठ्यक्रम के लिये प्रोसेसिंग शुल्क रू. 50,000 / – तथा दण्ड की राशि रू. 50,000 / – कुल राशि रू. 1,00,000 / – (रू. एक लाख) एवं पी.जी. पाठ्यक्रम के लिये प्रोसेसिंग शुल्क रू. 25,000 / – तथा दण्ड की राशि रू. 25,000 / – कुल राशि रू. 50,000 / – (रू. पचास हजार) का भुगतान सचिवालय, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल (Secretariat Admission and Fee Regulatory Committee, Bhopal) के नाम से देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जाय।
2. संचालित पाठ्यक्रम की वित्तीय वर्ष 2017–18 / 2018–19 की आडिटेड बैलेन्स शीट, आय–व्यय पत्रक, पूर्व में शुल्क विनियमन संबंधी आदेश की प्रति तथा अन्य वांछित जानकारियाँ हार्डकॉपी में दिनांक 08.08.2019 तक जमा करें।

3. जिन संस्थाओं द्वारा पूर्व में प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति द्वारा शुल्क का विनियमन नहीं कराया गया है, ऐसी संस्थाऐं सत्र 2018–19 के शुल्क विनियमन हेतु संस्थाओं द्वारा यू.जी. पाठ्यक्रम के लिये प्रोसेसिंग शुल्क रू. 50,000/– तथा दण्ड की राशि रू. 50,000/– कुल राशि रू. 1,00,000/– (रू. एक लाख) एवं पी.जी. पाठ्यक्रम के लिये प्रोसेसिंग शुल्क रू. 25,000/– तथा दण्ड की राशि रू. 25,000/– कुल राशि रू. 50,000/– (रू. पचास हजार) का भुगतान सचिवालय, प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति के नाम से देय डिमांड ड्राफ्ट द्वारा जमा किया जाय।

4. संचालित पाठ्यक्रम की वित्तीय वर्ष 2017–18/2018–19 की आडिटेड बैलेन्स शीट, आय–व्यय पत्रक, अन्य वांछित जानकारियाँ एवं दस्तावेज हार्डकॉपी में दिनांक 08.08.2019 तक जमा करें।

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी

पृ.क्रमांक/सचि./ओएसडी/2019/
दिनांक –

प्रतिलिपि–

1. माननीय अध्यक्ष महोदय प्रवेश एवं शुल्क विनियामक समिति, भोपाल।
2. अपर मुख्य सचिव, मध्यप्रदेश शासन, उच्च शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
3. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, तकनीकी शिक्षा, कौशल विकास एवं रोजगार विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
4. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आदिम जाति कल्याण विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
5. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, चिकित्सा शिक्षा विभाग, मंत्रालय, भोपाल।
6. प्रमुख सचिव, मध्यप्रदेश शासन, आयुष विभाग, मंत्रालय, भोपाल की ओर सूचनार्थ प्रेषित।

(डॉ. आलोक चौबे)
सचिव/विशेष कर्त्तव्यस्थ अधिकारी